(86)

न्यायालय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2013 नि० 3663 III/13

1. राजबहादुर सिंह
2. सुरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्रगण नकुल सिंह, निवासी – ग्राम मदरी तहसील जवा, जिला रीवा (म.प्र.)

......आवेदकगण

विरूद्ध

1. गुनराज सिंह
2. शिवराज सिंह पुत्रगण स्व. श्री हेमराज सिंह, निवासी– ग्राम मदरी तहसील जवा जिला रीवा म.प्र.
3. म.प्र. शासन वृत्त रीवा म.प्र.

.......अनावेदकगण

दिनांक 5.10.13 को श्री पी. के. तिवारी अभि० द्वारा प्रस्तुत/

5-10-13
A.S.O.

5-10-13

निगरानी अंतर्गत धारा 50म.प्र. भू –राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 2–5–2013 द्वारा पारित न्यायालय तहसीलदार प्रभारी वृत्त डभौरा तहसील जवा रीवा प्र.क. 10.ए.3/2012–13

महोदय,

श्री मान्‌जी के समक्ष निगरानी आवेदन निम्न लिखित प्रस्तुत है।

प्रकरण के तथ्य :–

1. संक्षेप में तथ्य इस तरह से है कि ग्राम मदरी तहसील जवा के भूमि खसरा क्रमांक 565/1 एवं 576/2 के नक्शा तरमीन किये जाने हेतु आवेदन क्र. 2 सुरेन्द्र प्रताप ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर श्रीमान् तहसीलदार महोदय द्वारा विधिवत् कार्यवाही प्रस्तुत करते हुए वृत्त राजस्व निरीक्षक से स्थल जॉच रिपोर्ट मंगाते हुये विधिवत सुनवाई का दोनो पक्षों को अवसर देते हुये दिनांक 16.12.11 को नक्शा तरमीम का आदेश दिया एवं उक्त आदेशानुसार पटवारी मौजा द्वारा इन्द्राज भी किया गया । उक्त 16.12.11 के आदेश को अनावेदकगणों द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत कर चुनौती दी, जो कि प्रकरण क्रं. 2028ए/12 पर दर्ज हुई। उक्त निगरानी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 17.09. 2013 को अंतिम तर्क श्रवण किये गये एवं इसके तर्क के पश्चात अनावेदक द्वारा

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3663-तीन/2013 जिला रीवा

राजबहादुर विरूद्ध गुनराज

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-04-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील जवा के प्रकरण क्रमांक 10/ए-3/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 02-05-2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. यह प्रकरण दिनांक 26-06-2019 को कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु रखा जावे । (बी.एम.शर्मा) सदस्य	